न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 49 / 2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सागरमल पुत्र बीरबलराम जाति जाट आयु व्यस्क निवासी सेहीकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मातुराम पुत्र बीरबलराम।
2 मालिया उर्फ मालाराम पुत्र बीरबलराम समस्त जाति जाट निवासी सेहीकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ0 धारा 223 आर.टी.ए. विरूद्व
निर्णय डिक्री दिनांक 05.10.15 उपखण्ड
अधिकारी सूरजगढ़ पीठासीन अधिकारी
दिनेश चन्द्र भार्गव बमुकदमा 260 / 2013
उनवानी मातुराम बनाम मालिया उर्फमालाराम

अपील संख्या 137/2016

1 सागरमल पुत्र बीरबलराम जाति जाट आयु व्यस्क निवासी सेहीकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मालिया उर्फ मालीराम आयु करीब 77 वर्ष।
2 मातुराम आयु करीब 72 वर्ष पुत्रगण बीरबल राम जाति जाट निवासीगण सेहीकलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
4 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चिड़ावा जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
5 राजस्थान ग्रामीण बैंक चिड़ावा जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबंधक।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनू)

अपील अ0 धारा 223 आर.टी.ए. 1988
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम
डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
दावा उनवानी सागरमल बनाम मालिया उर्फ
मालीराम वगैरह दावा बाबत विभाजन व स्थाई
निषेधाज्ञा मु.नं. 283ए/2013 (383/12) निर्णय
व अन्तिम डिक्री दिनाक 05.10.2015

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–08.10.2018

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा वाद संख्या 260(ए)/2013 एवं वाद संख्या 283ए /2013 (383/12) में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 05.10.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। दोनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

सम्मान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलीयों में अलग–अलग रखी जायेगी।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने उक्त उनवानी वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा योग्य अधिनस्थ न्यायालय में मातुराम बनाम मालिया उर्फ मालाराम वगैरह मुकदमा नम्बर 260ए /2013 मय प्रार्थना पत्र अस्थाई मुकदमा नम्बर 192/12 दिनांक 23.07.2012 को बाबत भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 14 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.90 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 8.68 हैक्टेयर स्थित ग्राम सेही कलां का वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के मध्य उनके पिता के जीवनकाल में जो मौखिक विभाजन हुआ था जिस मौखिक विभाजन के अनुसार वादी के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.90 हैक्टेयर खसरा नम्बर 262 रकबा 0.60 हैक्टेयर, व भूमि खसरा नम्बर 263 के पश्चिम की तरफ की 0.19 हैक्टेयर भूमि आई जिस पर वादी अलग से गत 35 वर्ष से काबिज चला आ रहा है राजस्व अभिलेख में बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विधिवत विभाजन किया जाकर अलग से खसरा नम्बर व रकबा कायम किया जाकर वादी का कब्जा करवाया जाये व अलग से पासबुक व लगान कायम किया जाये व उपरोक्त अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती के आदेश प्रतिवादी/रेस्पोडेंट नम्बर 3 को दिये जावें। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के हिस्से में आई उपरोक्त जमीनात को काश्त करने, लाट–बाट करने में कोई बाधा किसी

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर

प्रकार की न तो स्वयं डाले तथा न ही अपने घरवालों से डलवाये व वादी के हिस्से में आई उपरोक्त भूमि पर कोई कब्जा करने का प्रयास नही करें। कि हर्जा–खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 से दिलवाया जावें। व अन्य सिद्वि बहस जो वादी हो वह भी प्रदान किये जाने का निवेदन कर पेश किया गया। जिस दावे में अपीलांट/प्रतिवादी नं. 2 की कोई तामील नही करवाई गई व न ही प्रतिवादी नं. 2/अपीलांट की उक्त दावे की आदेशिका में कही कोई उपस्थिति है व न ही अपीलांट/ प्रतिवादी नं. 2 की उपस्थिति का कही कोई जिक्र है। उक्त प्रकरण ने वादी व प्रतिवादी नं. 1 ने दूर्भि सन्धि कर व अपीलांट को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आपस में साज–बाज होकर बिना नियत तारीख के उक्त प्रकरण में एक दरख्वास्त दिनांक 10.08.2015 को ऐतराज विभाजन प्रस्ताव पेश की जबकि उक्त प्रकरण में कोई विभाजन प्रस्ताव उक्त दिनांक 10.08.2015 तक उक्त प्रकरण में नही मंगवाये गये थे और वादी व प्रतिवादी नं. 1 द्वारा साज–बाज होकर दुर्भि सन्धि कर प्रस्तुत की गई दरख्वास्त पर दिनांक 03.09.2015 को सुनवाई करते हुये इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2015 स्वीकार विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का आदेश दिनांक 03.09.2015 को दे दिया। उक्त आदेश की पालना में रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने हल्का पटवारी सहीकलां को अपने प्रभाव में लेकर मौके के विरूद्व गलत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.10.2015 को तैयार करवा लिया व रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01. 10.2015 पर हस्ताक्षर कर दिये व प्रस्ताव पर लिखवा दिया कि प्रतिवादी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और नायब तहसीलदार सूरजगढ़ के हस्ताक्षर करवाये और विभाजन प्रस्ताव को न्यायालय में पेश करवा जबकि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की मौजुदगी में मौका व रिकार्ड के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार

Lano

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सूरजगढ़ को आदेशित किया था। यह कि उक्त भूमि से संबंधित एक उनवानी दावा उनवानी सागरमल बनाम मालीराम मु.नं. 283ए/2013 इसी अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन था जो अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के विरूद्व विभाजन व अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 14 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.90 हैक्टेयर किता 8 कुल रकबा 8.68 हैक्टेयर आराजियात को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य इनके हिस्सेनुसार अर्थात प्रत्येक का बहिस्सा बराबर दर हिस्सा 1/3 की दर से बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन मौके पर इस प्रकार किया जा जावे कि चिडावा लुहारू राजमार्ग पर स्थित भूमि खसरा नम्बर 294 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.55 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 9 रकबा 0.65 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के मध्य बराबर–बराबर बहिस्सा 1/3 में मौके पर विभाजन किया जाकर शेष खसरा नम्बर 8,14,262,263 तथा 264 का मौके पर हिस्सेनुसार प्रत्येक का 1/3 की दर से विभाजन किया जाकर तथा आवागमन के लिए रास्ता काटा जाकर मुताबिक विभाजन विभाजित भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा करवाया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 3 को आदेशित फरमाया जावे कि वह मौके पर हुये विभाजनानुसार ही खाता विभाजन कर अलग–अलग खाते बनाये एवं राजस्व रिकार्ड में तरमीम करे। व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे कि वे वादी के हिस्से व विभाजित कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग तथा उपभोग, कब्जे, काश्त तथा खातेदारी अधिकारों में

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प [illegible])

कोई बाधा किसी प्रकार की ना तो स्वंय कारीत करे ना ही किसी अन्य कसे करावे, खर्चा–हर्जा मुकदमा दिलवाया जावे व अन्य अनुतोष भी प्रदान किये जावे कि इस्तदुआ चाही गई जिसकों दर्ज कर नोटिस जारी गये व प्रतिवादी/रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 उक्त दावे में प्रस्तुत हो व इनकी तरफ से इनके वकील उपस्थित हुये जिस दावा को दिनांक 17.06.2015 को योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति से प्रारम्भिक डिक्री किया गया व 500/– रूपये कोस्ट पर तहसीलदार सूरजगढ़ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि वह पक्षकारान की मौजुदगी में मौका व रिकार्ड के अनुसार भौतिक बंटवारा करें। उक्त आदेश दिनांक 17.06. 2015 की तहसीलदार महोदय सूरजगढ़ ने स्वंय मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजुदगी में विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा तैयार किया व पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये। जिस विभाजन प्रस्ताव की किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी पक्षकार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में नहीं की गई योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विभाजन प्रस्ताव जो तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा मौके पर जाकर तैयार किया गया था पर कोई गौर नही किया व नायब तहसीलदार सूरजगढ़ को प्रभाव में लेकर तैयार करवाये गये विभाजन प्रस्ताव को सही मानकर दावा नम्बर 260ए/2013 दिनांक 05.10.2015 किये जाने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत दावा नम्बर 283ए/2013 पर भी लागु कर दिया गया व पत्रावली फैसला कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील संख्या 49/2016 प्रस्तुत की है। इसी प्रकार वाद संख्या 383/2012 में पारित निर्णय के विरूद्व अपील संख्या 137/2016 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय को दोनों दावों को एकजाही कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने चाहिए थे विचारण न्यायालय ने अलग–अलग प्रस्ताव मंगवाये

Leave

अलग–अलग प्रस्ताव ही प्राप्त हुये विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 की पालना नही की है। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किये गये है। अपीलांट को सूचित नही किया गया है राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के अनुसार आदेशिका पर निर्णय का प्रावधान नही है खसरा नम्बर 9,11,294 सड़क पर है इनमे मुझे नाममात्र की भूमि दी गई है खसरा नम्बर 294 में एक इंच भूमि भी नही दी गई है जो सड़क पर है विभाजन प्रस्ताव अलग–अलग आये है विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को अच्छा रकबा दिया है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है आपति का अवसर नही दिया है बाई मिटस एण्ड बाउन्डस प्रस्ताव तैयार नही हुये है अपने कथनो के समर्थन में आर.बी.जे. 2017 पेज 299 पेश कर अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 सहखातेदार है एवं सगे भाई है 30 वर्ष पूर्व हमारे पिता ने बाहमी बंटवारा कर दिया था उसी अनुरूप काश्त करते आ रहे है मिटस एण्ड बाउन्टस कब्जे काश्त के अनुसार बंटवारा किया गया है अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री को चुनौति नही दी है विभाजन प्रस्ताव पर सागरमल ने हस्ताक्षर किये है। खसरा नम्बर 294 में हिस्सा नही देने के लिए सागरमल ने सहमती दी है कोई आपत्ति नही की है। अपीलांट ने दावे का कोई जवाब नही दिया विभाजन प्रस्ताव पर हमने आपत्ति की थी जो स्वीकार हुई और दुबारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये जो उभयपक्ष की मौजुदगी में तैयार हुये किन्तु अपीलान्ट ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तहसीलदार स्वंय मौके पर गया है रास्ते का प्रावधान भी किया गया है। नियम 18 से 21 की पालना हुई है। धारा 97 सी.पी.सी. में अपीलांट

के अधिकारों की खिलाफ पी.डी हुई उसकी अपील नही की गई है। दोनों अपीले चलने योग्य नही है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 8,9, 11,14,262,263,264 व 294 वाके ग्राम सेहीकंला की भूमि के सन्दर्भ में दो अलग–अलग दावे प्रस्तुत किये गये थे जिनमें पक्षकार भी समान थे विचारण न्यायालय को दोनों दावों को कन्सोलिडेट कर निर्णय करना चाहिए था लेकिन विचारण न्यायालय ने दोनों दावों में बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन प्रस्ताव प्रथक–प्रथक मंगवाये दोनों प्रस्ताव में विभाजन की अलग–अलग स्कीम प्रस्तावित की गई विचारण न्यायालय में दोनों दावों में आदेशिका पर अन्तिम निर्णय पारित किया है जो राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल के प्रावधानों के विपरित है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 सहखातेदार काश्तकार है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन करने पर सभी खसरा नम्बर में सभी सहखातेदार काश्तकार का बराबर बराबर रकबा दिया जाना चाहिए जबकि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 9,11 जो सड़क पर है में से अपीलांट को नाममात्र का रकबा विभाजन में दिया है एवं खसरा नम्बर 294 में तो अपीलांट को कोई रकबा ही नही दिया गया है यह नम्बर भी सड़क पर है विचारण न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई, आपत्ति का समुचित अवसर दिये बिना दोनों निर्णय पारित किये है जिन्हे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

Cono

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन दोनों निर्णय अपास्त किये जाते है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि दोनों प्रकरणों को कन्सोलिडेट कर उभयपक्ष की मौजुदगी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना में विवादित भूमि के बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करे, इन पर उभयपक्ष को आपत्ति का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

8/x/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर